

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक महाद्वार कुलदीन जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही विना करने व कि किसी अन्य स्थापित करने के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में यह सन्दर्भ हुआ हो तो यह क्रमांक एवं दिनांक अलग दिनांक एवं तिथि से दिया जाये।



ग्राम : ग्वालियर  
दूरभाष : (0751) 2541896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2381760

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक/सम्बद्धता/2012/5921

दिनांक: 05/12/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेशनल स्टडीज, ग्वालियर (0751-2233018) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थावी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत विमानद्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया है :

- (1) प्रो. योगेश उपाध्याय, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442841)
- (2) डॉ. संजय गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27/20 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक

का संपर्क, प्रसिद्ध संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, प्रसिद्ध परिसर एवं पाठ्यक्रम/अभिलेख तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉंग की विद्युत्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

स्थावी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सत्रपूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थावी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पदावली संपन्न करने तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवनें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के साथे व कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

(5)